रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-06102020-222264 CG-DL-E-06102020-222264

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3090] No. 3090] नई दिल्ली, मंगलवार, अक्तूबर 6, 2020/आश्विन 14, 1942 NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 6, 2020/ ASVINA 14, 1942

> वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय (वाणिज्य विभाग) (विदेश व्यापार महानिदेशालय) अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 अक्तूबर, 2020

सं. 36 / 2015-2020

विषय : पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट/मॉस्क की निर्यात नीति में संशोधन।

का.आ. 3471(अ).—विदेश व्यापार नीति, 2015—20 के पैरा 1.02 और 2.01 के साथ पिठत यथा संशोधित, विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 (1992 की संख्या 22) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्द्वारा पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट/मास्क के निर्यात के संबंध में आईटीसी (एचएस) निर्यात नीति 2018 की अनुसूची 2 का संशोधन करने वाली दिनांक 25.08.2020 की अधिसूचना सं. 29 में निम्नानुसार संशोधन करती है:—

क्र.सं.	आईटीसी एचएस कोड	विवरण	मौजूदा नीति	संशोधित नीति
207क	9020 392690 621790	किट के भाग के रूप में या अलग—अलग मदों के रूप में निर्यातित निम्नलिखित पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट (पीपीई)—		
	630790	एन 95 / एफएफपी 2 मास्क या इसके	प्रतिबंधित	मुक्त

4744 GI/2020 (1)

समतुल्य

2. इस अधिसूचना का प्रभावः

दिनांक 25.08.2020 की अधिसूचना सं. 29 को इस सीमा तक संशोधित किया गया है कि एन 95 / एफएफपी—2 मास्क या इसके समतुल्य की निर्यात नीति को सभी प्रकार के मास्क को मुक्त रुप से निर्यातयोग्य बनाते हुए ''प्रतिबंधित'' से संशोधित करके ''मुक्त'' श्रेणी किया गया है।

> [फा. सं. 01/91/180/21/एएम20/ईसी/ई—21933] अमित यादव, महानिदेशक, विदेश व्यापार एवं प्रदेन अपर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th October, 2020

No. 36/2015-2020

Subject: Amendment in Export Policy of Personal Protection Equipments/Masks

S.O. 3471(E).—In exercise of powers conferred by Section 3 of the Foreign Trade (Development & Regulation) Act, 1992 (No. 22 of 1992), as amended, read with Para 1.02 and 2.01 of the Foreign Trade Policy, 2015-20, the Central Government hereby makes following amendment in the **Notification No. 29 dated 25.08.2020** amending the Schedule 2 of the ITC (HS) Export Policy 2018 related to the export of Personal Protection Equipments/Masks, as under:

Serial Number	ITC HS Codes	Description	Present Policy	Revised Policy
	9020 392690	Following Personal Protection Equipments (PPEs) exported either as part of kits or as individual items -		
207A	621790 630790	N95/FFP2 masks or its equivalent	Restricted	Free

2. Effect of this Notification:

Notification No. 29 dated 25.08.2020 is amended to the extent that the export policy of N-95/FFP-2 masks or its equivalent is amended from "Restricted" to "Free" category making all types of masks freely exportable.

[F. No. 01/91/180/21/AM20/EC/E-21933] AMIT YADAV, Director Genl. of Foreign Trade & Ex-Officio Addl. Secy.